FORM NO. III 2023/275

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **अति० जिला कलक्टर (द्वितीय)** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार** बनाम **दिनेश**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी ई.सी. एक्ट प्रा०पत्र नम्बर 15/03/2023**

दायर दिनांक 17.02.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या आरजे–14–जीके–0994 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना टहला से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 547 दिनांक 13.03.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को छोड़ दिये जाने पर मुकामी पुलिस थाना टहला को कोई एतराज नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सादा सुपुर्दनामा एवं इसी कदर जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी थाना टहला को जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या आरजे–14–जीके–0994 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमान होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) **अति0 जिला कलक्टर** **(द्वितीय) अलवर**	